न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या –32 / 2021 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2021 / 225

जगदीश पंवार आत्मज श्री भैरूलाल निवासी रिद्वि सिद्वि नगर कुन्हाडी कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

श्रीमति प्रीति पंवार पूर्व पत्नि श्री हरीश पंवार निवासिनी 36 ए गैस गोदाम के पास ईश्वर लेन बजरंगनगर कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.04.2021 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा प्रकरण संख्या 98 / 2020 बउनवान अन्तर्गत धारा 23, 24 व 25 दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007

उपस्थितः–

1. श्रीमति शर्मिला जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः–17 / 05 / 2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 5, 23 ,24, व 25 सीनियर सिटीजन एवं मेन्टेनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स ऑफ सीनियर सिटीजन 2007 के तहत दिनांक 27.07.2020 को प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा दिनांक 12.04.2021 को आदेश पारित किया कि– "भरण–पोषण अधिनियम के तहत अप्रार्थी प्रीति पंवार को मकान से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । "

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 28.07.2021 को पेश की गई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से एडवोकेट श्री ललित नागर उपस्थित । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष द्वारा अपनी अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलान्ट के पुत्र का रेस्पो0 से विवाह विच्छेद हो चुका है, इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है जबकि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का निर्णय रश्मि सक्सेना बनाम सुरेश प्रकाश सक्सेना 2017 (2) आरएलडब्ल्यू 1436 (जिसमें प्रार्थीया व प्रत्यर्थी के पुत्र के मध्य विवाह विघटित हो चुका था) में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि बहु को ससुर के मकान में रहने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट द्वारा जो लिखित बहस दी गई है वह वस्तुतः सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण में तो उचित है किन्तु प्रस्तुत मामला तो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत है । इस अधिनियम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अपने पारिवारिक सदस्यों के अत्याचार से राहत प्रदान करना व वरिष्ठ नागरिकों की सम्पत्ति को उनके स्वयं के सुविधा पूर्वक उपयोग के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सुविधा प्रदान करना है जैसा कि उक्त अधिनियम का उद्देश्य है । प्रस्तुत मामला अपीलान्ट ने अपनी पुत्रवधु से अपना मकान खाली करवा कर स्वयं के उपयोग में लेने के लिए किया है । क्योंकि अपीलान्ट के पुत्र को रेस्पो0 ने विवाद करके मकान से निकाल दिया है जो अन्य मकान में रह रहा है । रेस्पो0 की हरकतों की वजह से पारिवारिक न्यायालय ने अपीलान्ट के पुत्र व रेस्पो0 के मध्य दिनांक 14.11.2019 को विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी है । घरेलु हिंसा अधिनियम के प्रकरण जिसका निर्णय दिनांक 3.8.2021 को हुआ है, में भी रेस्पो0 को मकान में रहने का अधिकारी नहीं मानते हुए लिखा है कि प्रार्थीया का अन्तिम रूप से अप्रार्थी हरीश से तलाक हो चुका है, ऐसे में अप्रार्थी का मकान प्रार्थीया को निवास हेतु दिलावाया जाना वैध व उचित नहीं है । रेस्पो0 की मुख्य आपत्ति इकरारनामा पर्याप्त मुद्रांकित व पंजीकृत न होने के सम्बन्ध में रही है । इस सम्बन्ध में अपीलान्ट का यह कथन है कि अपीलान्ट का भूखण्ड जिस पर मकान बना हुआ है वह कृषि भूमि है, उसका रूपान्तरण नहीं हुआ है, इस कारण उसका पंजीयन सम्भव नहीं है । रूपान्तरण की कार्यवाही चल रही है । मकान अपीलान्ट का अथवा उसके पुत्र. का होना स्पष्ट है तथा अपीलान्ट का पुत्र अपीलान्ट के स्वामित्व पर कोई विवाद नहीं कर रहा है । वैसे भी प्रस्तुत मामला जिस अधिनियम के अन्तर्गत है उसका मूल उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों व पेरेन्ट्स को राहत प्रदान करना है जिसमें तकनीकी बिन्दु को दरकिनार किया जाना चाहिए और अधिनियम की भावना के अनुरूप आदेश दिया जाना चाहिए । इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित न्याय निर्णयों में है जैसे कि– Darshan v/s government NCT of & oth. w.p. (c) no.6592 of 2018 judjment 18.7.2018

23.....the provision of the Act have to be liberally construed as one of theprimary objects of the Act is to protect the life & property of the senior citizens.

जिला कलेक्टर
कोटा

24.....the delhi Maintenanc & Welfare of parents & Senior Citizen Rules 2009 as subsequently amended in 2016 is a welfare lesislation It must be ready in a meaning ful and liberal manner so as to aid and further the object of the enactment and not in a manner as to restrict its with

रेस्पो0 की बहस यह भी है कि अपीलान्ट सीनियर सिटीजन नहीं है । इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने लेटेस्ट आधार कार्ड, पेन कार्ड प्रस्तुत कर रखा है जिससे अपीलान्ट सीनियर सिटीजन प्रमाणित है । साथ ही यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 2 डी में माता पिता को परिभाषित किया है, परिभाषा के अनुसार माता पिता से माता या पिता अभिप्रेत है, चाहे माता पिता वरिष्ठ नागरिक है या नहीं । उपरोक्त परिस्थितियों में निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो0 को अपीलान्ट के मकान से बेदखल करने की आज्ञा दी जावें ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ने उक्त आवेदन स्वयं को सीनियर सिटीजन बताते हुये अपनी बहू अप्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट श्रीमति प्रीति पंवार के विद्व मकान नम्बर 36–ए, ईश्वर लेन बजरंग नगर कोटा को खाली करवाने हेतु पेश किया है, जिसमें यह अंकित किया है कि अपीलांट के द्वारा दिये हुये मकान में विवाह के पश्चात अप्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट निवास कर रही है और अपीलांट के पुत्र हरीश व अप्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट के मध्य दिनांक 14.11.2019 को पारिवारिक न्यायालय कोटा से विवाह विच्छेद हो चुका है इसलिये अपीलांट मकान का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है । चूंकि अपीलांट को रामगंजमण्डी से कोटा आना होता है अपीलांट का पुत्र अप्रार्थीया / रेस्पोडेन्ट को 5000/– प्रतिमाह न्यायालय के आदेश से अदा कर रहा है जबकि मकान में अपीलांट का गैस चूल्हा, बेड, फ्रीज व बरतन आदि रखे हुये है । इस प्रकार कब्जे की सहायता चाही गई है । अपीलांट ने सम्पूर्ण अपील एवं प्रार्थना पत्र में यह कही पर भी नहीं लिखा कि उक्त मकान अपीलांट के मालिकाना स्वामित्व का किस प्रकार से है । ऐसा कोई दस्तावेज अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट मकान का मालिक है । वास्तविकता यह है कि उक्त मकान अप्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट के पति हरीश पंवार के द्वारा सन 2008 में खरीद किया है और मकान को खरीद करने में अप्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट के पिता का सहयोग रहा है । इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि मकान अपीलांट के मालिकाना स्वामित्व व कब्जे का दस्तावेज पंजीकृत हो रहा है । इन परिस्थितियों में अपीलांट की अपील इसी स्तर पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पेश किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है । अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र के तहत चाही गई है कि अपीलांट को उसकी पुत्रवधु /रेस्पोडेन्ट प्रीति से अपीलांट का मकान खाली करवाकर सुपुर्द करवाया जावें और उसे मकान से बेदखल किया जावें । इस सहायता के लिये प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने

जिला कलेक्टर
कोटा

योग्य है । चूंकि माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4(1) के तहत सास–बहू के विरूद्व पोषणीय नहीं है । केवल मात्र इस अधिनियम के तहत माता पिता केवल मात्र अपनी संतान के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तुत कर सकते है न कि बहू के विरूद्व । इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिद्वांत प्रतिपादित किया है । इस सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय 2018 (1) WLC Raju (UC) page 20 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत बहू को निवास कर रहे मकान से बेदखल किया जा सकें और ना ही ऐसी सहायता का प्रावधान अधिनियम में रखा गया है, केवल मात्र अधिनियम का उद्देश्य माता– पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण की सहायता उनके बच्चों से दिलवाये जाने का प्रावधान है और यही उद्देश्य अधिनियम का रहा है । अपीलान्ट वरिष्ठ नागरिक नहीं है । इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट का आधार कार्ड जो स्वयं उसने भारत सरकार के यहां से जारी करवया हुआ है उस आधार कार्ड में अपीलान्ट की जन्म तिथि 2.8.1961 बतायी गई है और इस आधार पर अपीलांट की आयु आवेदन पेश करने की दिनांक को 60 वर्ष नही थी । अपीलांट को इकरारनामा दिनांक 4.8.2015 के आधार पर स्वामित्व व कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता । अन स्टाम्प्ड व अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खरीददार को न तो सम्पत्ति में स्वामित्व प्राप्त हो सकता है और ना ही कब्जा ट्रांसफर हो सकता है । उक्त इकरारनामा अपीलांट ने पश्चातवर्ती दिनांक में अपने पुत्र हरीश पंवार के साथ षडयंत्र कर तैयार करवाया है, जिससे कि रेस्पोडेन्ट से मकान खाली करवाये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकें, परन्तु उक्त अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड दस्तावेज के आधार पर तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर उक्त कार्यवाही चलने योग्य नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधि को स्थापित कर दिया है, जिसके सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय 2013 DNJ(SC)page 879 एवं 2017 (1) DNJ(Raj)page 438 **प्रस्तुत है जिनमें यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि "अनरजिस्टर्ड सेल डीड डोक्यूमेन्ट केन नोट बी रिसिव्ड एज एविडेन्स इवन फोर कोलेट्रियल परपज आलसो केन नोट रिसिव्ड एविडेन्स"** इस प्रकार अनरजिस्टर्ड व अनस्आम्प्ड इकरारनामा के आधार पर जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है के आधार पर अपीलांट की अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है । कोरोना के दौरान प्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट का सहारा व आजीविका की व्यवस्था उसके पिता बंशीलाल जी कर रहे थे, उनका भी दिनांक 31.5.2021 को स्वर्गवास हो गया है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा माता जी का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है । इस प्रकार प्रार्थीया के समक्ष रिहायश व आजीविका की समस्या उत्पन्न है । इन परिस्थितियों में अपील अपीलांट खारिज फरमाया जना आवश्यक है । साथ ही प्रार्थीया को अब कोई भरण–पोष्ण की राशि किसी भी न्यायालय से प्राप्त नहीं हो रही है इसलिये अप्रार्थीया को रिहायश से वंचित नहीं किया जा सकता । अतः अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील व प्रार्थना पत्र

जिला कलेक्टर
कोटा

दुर्भावना पूर्ण होने से अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पेश किये जाने की वजह से एवं अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड इकरारनामा जो साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं है को आधार बनाकर व बेक डेट में फर्जी व कूटरचित तैयार कर पेश किये जाने से विशेष हर्जे–खर्चे के साथ खरिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 12.04.2021 के विरूद्व दिनांक 28.07.2021 को लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो विलम्ब से पेश की गई है किन्तु कोविड–19 में विलम्ब के लिए दी गई छूट अनुसार अपील अन्दर मियाद है । वकील उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अपीलान्ट को भरण पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है अपितु अपीलान्ट तलाकशुदा पुत्रवधु रेस्पो0 को घर से बेदखल करना चाहते है तथा अपनी बहस में यह तर्क दिया है कि रेस्पोडेन्ट उनकी पुत्रवधु थी जिसका माननीय न्यायालय से विधिवत तलाक हो चुका है ऐसी स्थिति सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेन्ट को घर रहने का कोई अधिकार नहीं होने से बेदखली चाहते है । रेस्पोडेन्ट का अपनी बहस में कथन है कि जिस मकान से अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को बेदखल करना चाहते है वह अनरजिस्टर्ड और अनस्टाम्प्ड पर इकरारनामे के आधार पर है, ऐसी स्थिति में बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के वह इस मकान के मालिक नहीं हो सकते है, क्योंकि उक्त मकान अप्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट के पति हरीश पंवार के द्वारा सन 2008 में खरीद किया है और मकान को खरीद करने में अप्रार्थीया /रेस्पोडेन्ट के पिता का सहयोग रहा है । अपीलांट के पुत्र से रेस्पोडेन्ट का तलाक हो जाने से तथा अपीलांट जिस मकान से रेस्पो0 को बेदखल करना चाहते है उस पर कानूनन स्वामित्व उनका नहीं होने से सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत रेस्पोडेन्ट को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है । **उभयपक्ष की बहस के आधार पर हम यह मानते है कि अपीलान्ट के पुत्र हरीश पंवार एवं रेस्पोडेन्ट प्रीति पंवार का माननीय न्यायालय पारिवारिक न्यायालय सं0 2 कोटा से निर्णय दिनांक 14.11.2019 से तलाक होकर डिक्री जारी हो चुकी है तथा विवादित मकान के सम्बन्ध में भी स्वअर्जित सम्पत्ति होने का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज अपीलान्ट ने पेश नहीं किये है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को विवादित मकान से सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत बेदखल करना उचित नहीं मानते है । सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधानों के तहत तभी बेदखली की जा सकती है जब अचल सम्पत्ति स्वअर्जित हो जिसका रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किया हो । इस प्रकरण में तो विवादित सम्पत्ति अन रजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर क्रय किया जाना सामने आया है तथा इस अपील के जरिये चाही गई सहायता सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत नहीं आती है । विवादित मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए अपीलान्ट पृथक से सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र है ।**

जिला कलेक्टर
कोटा

6. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट द्वारा जो सहायता अपील के जरिये रेस्पोडेन्ट को मंकान से बेदखल करने की चाही गई है वह सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि रेस्पोडेन्ट का अपीलान्ट के पुत्र हरीश से पारिवारिक न्यायालय से तलाक हो चुका है, जिस कारण रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की पुत्रवधु नहीं रहने से मामला सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत नहीं आता है तथा सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेन्ट को मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । प्रस्तुत अपील स्वीकार करने योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2022 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

7. निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा